



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062021-227751
CG-DL-E-21062021-227751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2258]
No. 2258]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2021/ज्येष्ठ 31, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2021/JYAISTHA 31, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

का.आ. 2436(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3836 (अ), दिनांक 02 अगस्त 2018 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-140 के कि.मी 0.000. से कि.मी 61.128 (पुतलपड्डु से मल्लावरम खण्ड के निकट एनएच-40 के साथ जंक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 140 के चित्तूर से मल्लावरम खण्ड के डिज़ाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 61.128 (एनएच-4 के मौजूदा किमी 158.00 से एनएच-140 के किमी 41.800) के सड़क खंड की निवल लंबाई 36.628 कि.मी. हेतु और 13.430 कि.मी (जिनकी लंबाई 1.343 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर और बाईपास जिनकी लंबाई 23.157 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर आधार दर के 150% की दर से शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम ^०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृष्ट एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए सारणी निवल सड़क लंबाई पर शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में गडंकी गांव के निकट एनएच-140 के डिज़ाइन किमी 37.350 पर	36.628 [10 करोड़ से अधिक की लागत के बाइपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी – 3						
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	लम्बाई (कि.मी. में)		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में गडंकी गांव के निकट एनएच-140 के डिज़ाइन किमी 37.350 पर	कनीपक्कम बाइपास	डिज़ाइन किमी 3.565	डिज़ाइन किमी 20.800	16.157 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर अर्थात् 1.078]	457.24	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 150%
	काशीपेंतला बाइपास	डिज़ाइन किमी 40.700	डिज़ाइन किमी 47.700	7.000	198.10	
कुल				23.157	655.34	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध और संदेय होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में गडंकी गांव के निकट एनएच-140 के डिज़ाइन किमी 37.350 पर	1.343	13.43	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%

* ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	जरीब-दूरी (चैनेज)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	8.150	8.450	मेजर/स्टिल्ट पुल	0.300
2	8.700	8.900	मेजर पुल	0.200
3	10.000	10.500	मेजर/स्टिल्ट पुल	0.500
4	20.161	20.239	मेजर पुल	0.078
5	49.102	49.167	मेजर पुल	0.065
6	60.276	60.476	मेजर पुल	0.200
कुल				1.343

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी - 5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं या अधिक के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार तथा रियायतग्राही के साथ हुए करार के प्रावधान के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **2179.65 करोड़ रुपए** है। [पूँजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-टीपीटी/एनएच-140/टोल/250/2021]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

S.O. 2436(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.3836(E) dated the 02nd August 2018, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 0.000 to Km 61.128 (Junction with NH- 40 near Putalpaddu to Mallavaram Section) of National Highway 140 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 36.628 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 13.430 km (having length of 1.343 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 23.157 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Chittoor to Mallavaram from design kilometer 0.000 to kilometer 61.128 (existing km 158.00 of NH-4 to km 41.800 of NH-140) of National Highway number 140 in the State of Andhra Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 37.350 of NH-140 near Gadanki village in Chittoor district of Andhra Pradesh	36.628 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza : -

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km 37.350 of NH-140 near Gadanki village in Chittoor district of Andhra Pradesh	Kanipakam Bypass	Design km 3.565	Design km 20.800	16.157 (Excluding length of structures (>60m) i.e. 1.078 km)	457.24	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Kashipentla Bypass	Design km 40.700	Design km 47.700	7.000	198.10	
Total				23.157	655.34	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 37.350 of NH-140 near Gadanki village in Chittoor district of Andhra Pradesh	1.343	13.43	100% for four and more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

The details are as under: -

Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
From Km	To Km		
8.150	8.450	Major/ Stilt Bridge	0.300
8.700	8.900	Major Bridge	0.200
10.000	10.500	Major/ Stilt Bridge	0.500
20.161	20.239	Major Bridge	0.078
49.102	49.167	Major Bridge	0.065
60.276	60.476	Major Bridge	0.200
Total			1.343

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 285.00 (Rupees Two Hundred and Eighty five Only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of Payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is **Rupees 2179.65 crore**. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU-TPT/NH-140/Toll/250/2021]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.